



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जून 2015—ज्येष्ठ 27, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 17 जून 2015

क्र. एफ-70-80-2014-तीन-न.पा.-460.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 42 “क” में यह उपबंधित है कि “निर्वाचनों में मतदान मशीनें” द्वारा मतदान में मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करें।

2. आयोग ने नगरीय निकायों के आम / उप निर्वाचन 2015 (पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध) के लिये राज्य की परिस्थितियों पर विचार किया है और संतुष्ट है कि नगरीय निकायों के आम / उप निर्वाचन 2015 (पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध) में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें उपलब्ध हैं, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को दक्षता पूर्ण संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं तथा मतदाता भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

3. अतः, नगरीय निकायों के आम / उप निर्वाचन 2015 (पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध) में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल